संख्या-सीवीसी/आरटीआई/मिस/10/002
केन्द्रीय सतर्कता आयोग
*****

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023
दिनांक : 15.07.2010

परिपत्र सं-26/07/010

विषय: सरकारी संगठनों के सतर्कता विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा/दौरा विवरण का प्रकटीकरण ।

मुख्य सतर्कता अधिकारियों का ध्यान केन्द्रीय सूचना आयोग के दिनांक 16.09.2009 के निर्णय की ओर दिलाया जाता है जो कि श्री निहार रंजन बनर्जी, मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा श्री बिद्या नन्द मिश्रा, उप महाप्रबंधक (सतर्कता), कोल इंडिया लि0 बनाम श्री एम.एन. घोष के मामले में मामला संख्या सीआईसी/ए.टी/ए/2009/000100 में दिया गया है जिसमें सरकारी संगठनों के सतर्कता विभागों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा/दौरा विवरणों तथा यात्रा भत्ता बिलों के प्रकटीकरण के मुद्दे पर केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा विचार किया गया है ।

2. केन्द्रीय सूचना आयोग ने अपने निर्णय में यह प्रेक्षित किया है कि:-

"अपीलकर्ता द्वारा अब मांगे गए सूचना समूह, अर्थात यात्रा विवरण, वाहन लॉग बुक, दौरों का उद्देश्य, समयोपरि भुगतान आदि पर व्याप्त विशेष परिस्थितियों तथा दशाओं को ध्यान में रखते हुए, मैं समीक्षा-याचिकादाताओं से सहमत हूँ कि इनके प्रकटीकरण से कोई लोक हित पूरा नहीं होता है । इसके विपरीत, यह सुस्पष्ट संभावना है कि इस सूचना के प्रकटीकरण से सतर्कता अधिकारियों समीक्षा याचिकादाताओं के कामकाज पर विपरित असर होगा तथा यह ना केवल उनके लिए शारीरिक खतरे तथा अभित्रास का जोखिम उत्पन्न करेगा अपितु उन्हें सौंपे गए संवेदनशील कार्यों को पूरा करने की उनकी योग्यता को भी कम करेगा । ऐसे अधिकारियों को एक निर्दिष्ट सुरक्षा स्तर दिया जाना आवश्यक है, साधारण दिखने वाली सूचना के प्रकटीकरण के संबंध में भी, क्योंकि जो साधारण प्रतीयमानत: होती है, विशेष परिस्थितियों तथा दशाओं में असाधारण के लक्षण धारण कर लेती है, जो मेरे अनुसार, इस मामले में विद्यमान हैं।"

"जैसा कि समीक्षा-याचिकादाताओं द्वारा स्पष्ट किया गया है, जिन परिस्थितियों तथा वातावरण में वे कार्य करते हैं तथा उन्हें सौंपे गए संवेदनशील कार्यों की विशिष्टता में, मांगी गई सूचना में अधिकारियों के जीवन तथा उनकी शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की सम्भाव्यता है तथा इसके अतिरिक्त सूचना के स्रोत की अथवा सतर्कता अधिकारियों के रूप में उनके विधि-प्रवर्तन कार्यों के निष्पादन हेतु विश्वास में दी गई सहायता की पहचान होने की सम्भाव्यता है ।"

3. केन्द्रीय सूचना आयोग ने उपर्युक्त प्रेक्षणों के आधार पर निर्णय लिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(छ) में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सरकारी संगठनों के सतर्कता विभागों में कार्यरत अधिकारियों/ कर्मचारियों के यात्रा /दौरों का विवरण तथा यात्रा भत्ता बिलों को प्रकट ना किया जाए ।

4. केन्द्रीय सूचना आयोग के उपर्युक्त निर्णय को मुख्य सतर्कता अधिकारी अपने संगठन के सभी केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों/अपील अधकारियों के ध्यान में लाएं, जो सतर्कता संगठनों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के दौरों/यात्रा विवरणों की मांग करने वाले सूचना का अधिकार अधिनियम आवेदनों पर निर्णय लेते समय केन्द्रीय सूचना आयोग के निर्णय को ध्यान में रखें । (मामला सं0 सीआईसी/एटी/ए/2009/000100 में केन्द्रीय सूचना आयोग का पूरा निर्णय उनकी वेबसाईट www.cic.gov.in पर डाऊनलोड योग्य रूप में उपलब्ध है तथा वहां से प्राप्त किया जा सकता है) ।

ह0/-

(राजीव वर्मा)
अवर सचिव तथा
नोडल केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी

सेवा में

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी